रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89 REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1989 (श्रावण 21, 1911)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1989 (SRAVANA 21, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1— रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	603
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	813
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4— रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1143
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4— रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1— उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	675
भाग III—खण्ड 2— पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	743
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	741
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	103
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	603
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	813
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1143
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	675
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	743
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	741
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	103
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्तर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 1989

सं० 67-प्रेज/89—राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री मृणाल कान्ति देव,
पुलिस निरीक्षक,
नागालैण्ड पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

नवम्बर, 1986 में भूमिगत विद्रोहियों के एन० एस० सी० एन० संगठन के एक ग्रुप ने एक बैंक से 1.72 करोड़ रुपये लूट लिए थे और 7 पुलिस कार्मिकों की हत्या कर दी थी। 16 दिसम्बर, 1986 को श्री मृणाल कान्ति देव, पुलिस निरीक्षक, को यह सूचना प्राप्त हुई कि भूमिगत विद्रोहियों के तथाकथित एन० एस० सी० एन० संगठन के एस० एस० लेफ्टिनेन्ट हनीपम तंखुल उर्फ अपम तंगखुल, जो नवम्बर, 1986 की बैंक डकैती का संदिग्ध प्रमुख व्यक्ति है, ने अपने साथियों के साथ दीमापुर शहर के "डायना" होटल में शरण ली हुई है। उन्होंने अपने जवानों तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ कार्मिकों के साथ रात के 9.00 बजे उस स्थान को घेर लिया। श्री मृणाल कान्ति देव, ने उस संदिग्ध व्यक्ति को कमरा नं० 125 में देखा और ललकारे जाने पर एस० एस० लेफ्टिनेन्ट हनीपम तंगखुल ने उन पर चीन में निर्मित एक हथगोला फेंकने की कोशिश की, जिसे उन्होंने छीन लिया। उसके बाद विद्रोही ने अपनी भरी हुई पिस्तौल निकाली और श्री देव को मार डालने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उससे पिस्तौल छीन ली और इससे उन दोनों में हाथापाई हो गई। इसी बीच श्री देव ने हल्ला मचाया, जिसके फलस्वरूप हैड कांस्टेबल जे० के० नाथ और अन्य कार्मिक उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए और उस विद्रोही को काबू करके गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना में श्री मृणाल कान्ति देव, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 68-प्रेज/89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सुशील कुमार शर्मा,
सहायक कमान्डेंट,
47वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री शिव स्वरूप सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
47वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री डी० पी० त्यागी,
पुलिस उप-अधीक्षक,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मकसूद हुसैन,
कांस्टेबल सं० 790250041,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 अप्रैल, 1988 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 47वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक श्री शिव स्वरूप सिंह के नेतृत्व में एक चल गश्ती दल भोपराय कलां और भोपराय बाजसिंह क्षेत्रों में आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों की जांच कर रहा था। दिन के लगभग 3.15 बजे जब पुलिस दल, गांव भोपराय कलां के बाहरी क्षेत्र में एक फार्म हाऊस की तरफ बढ़े तो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जल्दबाजी में फार्म हाऊस छोड़कर जाते हुए देखा गया। श्री शिव स्वरुप सिंह ने अपने आदमियों को उनका पीछा करने और उन्हें रोकने का आदेश दिया। जब पुलिस दल ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने गेहूं के खेतों में मोर्चा संभाला और पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलायीं। इसके बाद भारी गोलीबारी हुई जिस दौरान आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की लेकिन श्री सिंह के युक्तिपूर्ण कार्य से उनके सभी प्रयत्न विफल हो गए। चूंकि आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे, इसलिए कम संख्या में होने और गोला बारुद के सीमित भण्डार के कारण पुलिस दल के लिए अधिक समय तक आतंकवादियों का मुकाबला करना सम्भव नहीं था। श्री सिंह ने सेक्टर कमांडर, अजनाला और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 47वीं बटालियन के डिटेचमेंट मुख्यालय से कुमुक के लिए बेतार से सम्पर्क स्थापित किया।

शाम के लगभग 4.30 बजे चार जीपों की एक कानवाई, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 47 वीं बटालियन के सहायक कमांडेन्ट श्री सुशील कुमार शर्मा, 24 वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक श्री डी० पी० त्यागी और कान्स्टेबल मकसूद हुसैन तथा अन्य पुलिस कार्मिक थे, भोपराय कलां के नजदीक के कैनाल पुल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन पर अचानक स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की गई। सभी पुलिस कार्मिक अपने-अपने वाहनों से बाहर कुद पड़े और उन्होंने सड़क के किनारे आड़ ली और तत्काल गोली का जवाब गोली से दिया। इस पर आतंकवादियों ने, सम्भवतः इस आशय से कि कुमुक समय पर न पहुंचे, यह मोर्चा छोड़ दिया और लगभग 100 मीटर पीछे जाने के बाद एक सूखे नाले में आड़ लेकर पुनः पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी।

पुलिस पार्टी के जो कमांडर वहां पहुंचे उन्हें यह मालूम न था कि वहां पर क्या हो रहा है और आतंकवादी क्या कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल चिन्ता न करते हुए श्री शिव स्वरुप सिंह ने अपना मोर्चा छोड़ा और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सैनिक खड़े थे। श्री शर्मा को जल्दी तथा संक्षेप में कुछ समझाने के बाद वे सैनिकों का नेतृत्व करते हुए तथा आतंकवादियों का अन्तिम रूप से मुकाबला करने के लिये आगे बढ़े। श्री शर्मा ने अपने आदमियों को तत्काल मोर्चा संभालने और रेंगते हुए उस स्थान तक पहुंचने का आदेश दिया, जहां पर आतंकवादियों की भारी

गोली बारी के कारण गश्ती दल बुरी तरह से घिरा हुआ था। वहां पहुंचने पर श्री सिंह ने श्री शर्मा को यह बताया कि आतंकवादियों की संख्या लगभग 6 है, जो तीन-तीन के ग्रुपों में बंटे हुए हैं। एक दल नाले की तरफ केन्द्रीय पुलिस रिजर्व बल की 24वीं बटालियन से आए कुमुक का सामना कर रहा है और दूसरा दल अभी भी उनका मुकाबला करने की स्थिशि में है। आतंकवादियों को अब तक इस बात का आभास हो गया था कि उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया है। उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि वे रुक-रुक कर बीच-बीच में गोली बारी करते रहें और अंधेरा होने पर भाग निकलें। श्री शर्मा और श्री सिंह ने निकट जाकर मुकाबला करने का साहसिक निर्णय लिया। अपने जवानों के साथ अपने हथियारों से गोलियां चलाते हुए उन्होंने आतंकवादियों पर धावा बोला और उनके ठिकाने पर काबू पाते हुए घटनास्थल पर ही उनमें से दो को मार डाला। तीसरे आतंकवादी ने भाग निकलने की पूरी कोशिश की परन्तु श्री शर्मा ने उसके प्रयास को विफल कर दिया और तेजी से उसका पीछा करके उसे अपनी गोली से मार डाला।

इस बीच श्री डी० पी० त्यागी, ने अपने जवानों को खड़ी फसल में से गुजरते हुए अपने पीछे आने और आतंकवादियों के नाले की ओर से भागने के रास्ते को रोक देने का आदेश दिया। जैसे ही यह दल नाले पर पहुंचा, आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की। इससे विचलित न होते हुए तथा दृढ़तापूर्वक श्री त्यागी ने अपने जवानों से कहा कि वे आतंकवादियों के जितना संभव हो सके निकट पहुंचें। आतंकवादी इतनी अच्छी तरह से मोर्चा डाले हुए थे कि बहुत अधिक गोली बारी होने के उपरान्त भी वे एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले। इस स्थिति में यदि आतंकवादियों को काबू करने में थोड़ा भी बिलम्ब हो जाता तो निश्चित ही उनकी स्थिति और पक्की हो जाती। इसलिए श्री त्यागी ने अपने जवानों सहित पूरे जोरों के साथ आतंकवादियों पर आक्रमण किया। इस प्रक्रिया में एक उप-निरीक्षक और दो कान्स्टेबल गोलियों से घायल हो गए और उन्हें वहीं धान के खेतों में छोड़ दिया गया। विचलित न होते हुए श्री त्यागी आगे बढ़ते गए और अपनी स्टेन-कार्बाईन से गोलियां चलाते हुए उन्होंने घटना-स्थल पर ही दो आतंकवादियों को मार दिया।

इसी दौरान कान्स्टेबल मकसूद हुसैन एक दूसरे कान्स्टेबल के साथ अपनी जगह से पीछे मुड़ते हुए नहर की आड़ में से रेंगते हुए उस पम्प हाऊस के निकट पहुंचे, जहां एक आतंकवादी ने मोर्चा बनाया हुआ था। श्री हुसैन ने देखा कि आतंकवादी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल की ओर गोलियां चला रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कान्स्टेबल हुसुन धीरे-धीरे आगे बढ़े और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादी के सामने पहुंचकर उसको चकित कर दिया और मार डाला। इस मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे। गए।

इस मुठभेड़ में श्री सुशील कुमार शर्मा, सहायक कमान्डेन्ट श्री शिव स्वरूप सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री डी० पी० त्यागी, पुलिस उप-अधीक्षक, तथा श्री मकसूद हुसैन, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 1989

सं० ए-11019/2/86-प्रशा०-I—इस सचिवालय के दिनांक 27 फरवरी, 1986 के समसंख्यक संकल्प के संदर्भ में, जिसके द्वारा महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई थी।

2. सरकार ने महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का कार्यकाल 1.4.1989 से 31.3.1992 तक तीन वर्षों के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका संघठन इस प्रकार होगा :—

1.	सचिव, महासागर विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
3.	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य
5.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	सदस्य
6.	सचिव, खान विभाग	सदस्य
7.	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य
8.	डा० ए० पी० मित्रा, महानिदेशक एस० आई० आर० और सचिव, डी० एस० आई० आर०	सस्दय
9.	प्रो० बी० एल० के० सोमायाजुलु	सदस्य
10.	प्रो० आर० नरसिंह	सदस्य

दीपक दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 1989

सं० यू०-13019/1/88-ए० एन० एल०-I—राष्ट्रपति, संघ शासित क्षेत्र अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की गृह मंत्री से संबंद्ध सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्य के कार्यकाल की अवधि छः महीने और 31 दिसम्बर 1989 तक बढ़ाते है।

(1) श्री गोडविन सुरिन
(2) श्री इब्राहीम अली हुसैन
(3) श्रीमती शांता लक्ष्मण सिंह
(4) श्रीमती मिल्ड्रेड डेविडसन

प्रकाश चन्द्र, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1989

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए), 1989

नियम

सं० 9/4/89 के० से०-II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड-VI के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1989 में ली जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारी 1989 अर्हक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालय/कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।

(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं,

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-VI यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेश में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं, और

(iv) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा। किस तारीख और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप "घ" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(i) सेवा अवधि :—उसने (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा सेवा संगठनों अथवा

(iii) विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (iv) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1 अगस्त, 1989 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी : 1— 5 वर्ष की अनुमोदित एवं लगातार सेवा की सीमा तक भी लागू होगी, यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अन्यत्र, उसके समकक्ष या उच्चतर ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके दूतावासों अथवा संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "कर्मचारी के रूप में हों।

टिप्पणी : 2— जो ग्रुप "घ" कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो ग्रुप "घ" कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में है और फिलहाल ग्रुप "घ" के पद पर उसका ग्रहणाधिकारी बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

(ii) आयु :—वह 1 अगस्त, 1989 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2 अगस्त, 1939 से पहले उसका जन्म न हुआ हो। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

III. शैक्षणिक अर्हता :—भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाता है, वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है। वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 :—कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उस के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) ना हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है।

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं अथवा

(viii) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार करना अथवा

(ix) परीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान करना अथवा शारीरिक क्षति/चोट पहुंचाना अथवा

(x) उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी उनके प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अन्य आदेश का उल्लंघन करना अथवा

(xi) पूर्वोक्त धाराओं में उल्लिखित सभी अथवा कोई एक आचरण करने का प्रयास करना अथवा, यथा शक्ति उसको अभिप्रेरित करना।

फौजदारी मुकदमे का भागी होने के अतिरिक्त उस पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है।

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा, तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता/सकती है।

9. परीक्षा के बाद आयोग, प्रत्येक संबंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे। उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है उनका नाम एकल सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनके मूल समूह "घ" पदों में रखा जाएगा उच्च श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ट होंगे। संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णीत की गई रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति करने के कदम उठाएंगे।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा की परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी:—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य विघटन चिकित्सा-बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न हो तो यह नियुक्त की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा। ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृतियां) नहीं दी जाएंगी।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि उक्त में परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थाई पद पर लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणी:—परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास की जो या जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा, उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "घ" पद की नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता हैं अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता हैं अथवा उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता हैं अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त हो जाता हैं और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनः ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति पर नियुक्त किया गया हैं:

डा० रविन्द्र सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी:—

परीक्षा के विषय परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

पत्र सं०	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(i)	लघु निबन्ध	100	1½ घंटा
(ii)	सामान्य अंग्रेजी	50	1 घंटा
(iii)	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	50	1 घंटा

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया हैं।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्न-पत्र / या प्रश्न-पत्र-III या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में किसी में दें। प्रश्न-पत्र II के उत्तर सब उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिएं।

टिप्पणी 1: प्रश्न पत्र III में छूट पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नो के लिए नहीं।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन-पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी 3: एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी: 4 उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. उम्मीदवारों को भी उत्तर अपने हाथ से लिखने होगें। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता हैं।

6. केवल पिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र I लघु निबन्ध—दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

प्रश्न-पत्र II सामान्य अंग्रेजी—उम्मीदवारों की साधारण वाक्य रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारंभिक सारणी करण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न-पत्र III भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान: सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टि गोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1989

संकल्प

सं० 604/2/89-एन० पी०-1/आर० एन० आई०/जे० एस० (पी०)-इस मंत्रालय के दिनांक 20 जून, 1988 के संकल्प संख्या 602/4/82-पी० एंड सी०/आर० एन० आई०/जे० एस० (पी०) के अनुक्रम में 1-4-89 से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को एतद्द्वारा अखबारी कागज मूल्य निर्धारण परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

गैर सरकारी सदस्य

1. श्री एन० मुरली 2. श्री पी० के० राय	भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के नामित
3. श्री प्रताप टी० शाह 4. श्री किरन आर० सेट	भारतीय भाषायी समाचार पत्र संघ के नामिति
5. श्री हरभजन सिंह	अखिल भारतीय छोटे और मझौले समाचार पत्र संघ के नामिति

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 13 जुलाई 1989

संकल्प

सं० ई० 11015/36/88-हिन्दी—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 24 फरवरी, 1989 के संकल्प संख्या ई० 11015/36/88-हिन्दी के क्रम में भारत सरकार द्वारा श्री वाई० जी० शिन्दे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. इस समिति की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियन्त्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

र० च० सिन्हा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi, the 26th July 1989

No. 67-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Nagaland Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Mrinal Kanti Deb,
Inspector of Police,
Nagaland Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

In November, 1986 a group of NSCN Organisation of the underground hostiles had looted Rs. 1.72 crores from a Bank and had killed 7 policemen. On the 16th December, 1986, Shri Mrinal Kanti Deb, Inspector of Police, received information that S.S. Lt. Hanipam Tangkhul alias Apam Tangkhul of the so called NSCN Organisation of the underground hostiles, a prime suspect of November, 1986 Bank decoity, had taken shelter in 'Diana' Hotel in Dimapur town along with his associates. He, alongwith his men and some Central Reserve Police Force personnel, surrounded the place at 9.00 p.m. Shri Mrinal Kanti Deb sighted the suspect in room No. 125 and on being challenged, SS. Lt. Hanipam Tangkhul attempted to hurl a Chinese hand-grenade at him which he managed to snatch away. Therefter the hostile pulled out his loaded pistol and tried to shoot Shri Deb but in utter disregard of his personal safety, he caught hold of the pistol and a scuffie ensued. In the meantime Shri Deb raised an alarm with the result that Head Constable J. K. Nath and others came to his help and the hostile was over-powered and arrested.

In this incident, Shri Mrinal Kanti Deb, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16th December, 1986.

No. 68-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri Sushil Kumar Sharma,
Assistant Commandant,
47 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Shiv Swaroop Singh,
Deputy Superintendent of Police,
47 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri D. P. Tyagi,
Deputy Superintendent of Police,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Maqsood Hussain,
Constable No. 790250041,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th April, 1988 a mobile patrol party under the command of Shri Shiv Swaroop Singh, Dy. Superintendent of Police of 47 Battalion, Central Reserve Police Force was screening suspected terrorists hide-out in the areas of Bhoperai Kalan and Bhoparai Bajsingh. At about 1515 hours when the police party approached a farm house on the out-skirts of village Bhoparai Kalan, few suspicious looking persons were seen leaving the farm house in a hurry. Shri Shiv Swaroop Singh ordered his men to chase and intercept them. When the police party challenged them to stop, they took positions in the wheat crop and opened fire with automatic weapons on the police party. This followed a heavy exchange of fire, during which terrorists tried to escape but through tactical Manoeuvres Shri Singh foiled their all attempts. As the terrorists were heavily armed it was not possible for the police party to keep them pinned down for long with meagre strength and limited stock of ammunition. Shri Singh contacted Sector Commander. Ajanala and Detachment Hqrs. 47 Battalion, Central Reserve Police Force on wireless for reinforcement.

At about 1630 hours when a convoy of four jeeps consisting of Shri Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant, 47 Battalion, Central Reserve Police Force, Shri D. P. Tyagi, Deputy Superintendent of Police, 24 Battalion, Central Reserve Police Force and Shri Maqsood Hussain, Constable and other police personnel reached canal bridge near Bhoperai Kalan, it suddenly came under heavy fire from automatic weapons. All the police personnel jumped from their vehicles, took cover along road-side and immediately returned the fire. On this the terrorist, who had probably taken position with a view to delay the approaching reinforcement, left his position and after retreating about 100 metres, again started firing on the police party, after taking cover in a dry drain.

The police party Commanders, who arrived at the scene, were quite unaware of what was happening around and also about the terrorists and their disposition. In complete disregard to his personal safety, Shri Shiv Swaroop Singh left his position and reached the location where the troops were standing. After a hurried briefing with Shri Sushil Kumar Sharma, he once again moved forward with troops to lead them for a final encounter. Shri Sharma immediately ordered his men to take position and crawl upto the place where the patrol party was badly pinned down by heavy firing by the terrorists. On reaching there, Shri Singh informed Shri Sharma that terrorists numbering about six had spilt in two groups of three each. One group was facing reinforcement arrived from 24 battalion, Central Reserve Police Force on the Nallah side and the other was still in position confronting them. The terrorists had by now realised that they had been completely cordoned. The only alternative left with them was to linger on through intermittent firing and then escape under the cover of darkness. Shri Sharma and Shri Singh took a bold decision to go in for a close quarter battle. Firing from their weapons, they, with their men, made a dash and over ran terrorists' position killing two of them on the spot. The third terrorist made a desperate attempt to escape but Shri Sharma foiled his attempt and after giving a hot chase shot him dead.

Meanwhile Shri D. P. Tyagi ordered his men to follow him through the standing crops and to cut off terrorists escape through Nallah. As the party approached Nallah, it came under heavy firing from the terrorists. Undeterred and with unflinching resolve, Shri Tyagi urged his men to get as close to terrorists as possible. The terrorists were so well trenched that even after heavy exchange of fire, they did not budge an inch from their positions. Any delay in giving the operation a finishing touch, would certainly have gone in favour of the terrorists. Shri Tyagi, therefore, alongwith his men, charged on the terrorists with full vehemance. In the process one Sub-Inspector and two Constables sustained bullet injuries and they were left in the paddy field. Undeterred Shri Tyagi kept on advancing, while firing from his sten-carbine and killed two terrorists on the spot.

In the meantime, Constable Maqsood Hussain alongwith another Constable moved back from his position and after taking cover of the canal, crawled stealthily towards the place near a pump house, where one of the terrorist had taken position. Shri Hussain saw that the terrorist was firing towards the Central Reserve Police Force party. Taking advantage of this diversion Constable Hussain, in complete disregard to his personal safety, went on inching closer towards the terrorist and after taking him in complete surprise shot him dead. In this encounter six terrorist were killed.

In this encounter Shri Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant, Shri Shiv Swaroop Singh, Deputy Superintendent of Police, Shri D. P. Tyagi, Deputy Superintendent of Police and Shri Maqsood Hussain, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th April, 1988.

S. NILAKANTAN, Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th July 1989

No. A-11019/2/86-Ad.I.—Reference this Secretariat's Resolution of even number dated the 27th February, 1986, constituting the Ocean Science and Technology Board.

2. The Government have decided to extend the term of the Ocean Science and Technology Board for a further period of three years with effect from 1-4-1989 to 31-3-1992, with the following composition :—

Chairman

(i) Secretary, Department of Ocean Development.

Members

(ii) Secretary, Department of Science and Technology.

(iii) Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(iv) Director General, Indian Council of Agricultural Research.

(v) Scientific Adviser to Raksha Mantri.

(vi) Secretary, Department of Mines.

(vii) Secretary, Ministry of Environment and Forests.

(viii) Dr. A. P. Mitra, D.G. S.I.R. and Secretary D.S.I.R.

(ix) Prof. B. L. K. Somayajulu.

(x) Prof. R. Narasimha.

D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th July 1989

No. U-13019/1/88-ANL.—The President is pleased to extend the tenure of the following Mempers of the Advisory Committee for the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands associated with the Minister of Home Affairs for a further period of six months upto 31-12-1989 :-

1. Shri Godwin Surin
2. Shri Ebrahim Ali Hussain
3. Smt. Shanta Lakshman Singh
4. Smt. Mildred Davidson

PRAKASH CHANDER, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-1, the 12th August 1989

CLERKS' GRADE EXAMINATION (FOR GROUP D STAFF) 1989

RULES

No. 9/4/89-CS.II.—The Rules for qualifying examination viz. Clerks' Grade Examination (for Group D Staff) 1989, to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training in 1989, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Group D Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies.

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services organisation;

(iii) in Grade IV of IFS (B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement to be issued by the Commission.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group D employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examinations :—

Length of Service :—He should have rendered on 1st August, 1989, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group D employee or in any higher Grade in Ministries/Offices participating in (i) the Central Secretariat Clerical Service; or

(ii) Armed Forces Headquarters and/or Inter-Services Organisations, or (iii) in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad, or (iv) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (1) : The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidates is partly as a Group D employee in any Ministry of Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the Office participating in the Armed Forces Headquarter Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Group D employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in posts of LDC in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (2) : Group D employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group D employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continuous to have a lien on a Group D posts for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

11. *Age* :—He should not be more than 50 years of age as on 1st August, 1989 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1939.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *Educational Qualifications* :—Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to matriculation certificate for entry into service.

NOTE (1) : A candidate who has appeared to an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE (2) : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possess qualifications, the standard of which in the opinion of Government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricating documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means, in connection with his candidature for the examination.

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(ix) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(x) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xi) attempting to commit, or as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

May, in addition, to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or selection held by them, and

(ii) by the Central Goovernment from any employment under them, and

(c) disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separately to each cadre Authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the

discretion of the Commission. The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list on the basis of their seniority in the parent Group 'D' post. The employees holding posts in higher grade will rank senior to those in the lower Grade. The Cadre Authorities shall take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules/regulations framed by them in this regard.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed, only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In the case of the disable ex-defence Service Personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the candition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission, or Staff Selection Commission, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE :—A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting tset as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one years' service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group D employee or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by this Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on a Group D post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group D employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy. (CS)

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum marks	Time allowed
I	Short Essay . .	100	1 hours
II	General English .	50	1 hour
III	General Knowledge (including Geography of India)	50	1 hour

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

3. The candidates are allowed the options to Answer Paper I or Paper III or both either in Hindi, (in Devanagari Script) or in English. Paper II must be answered in English by all candidates.

NOTE 1 :—The option for Paper III will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2 :—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the examination in Hindi (in Devanagiri Script) should indicate their intention to does so in their applications. Otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

NOTE 3 :—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4 :—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commision have discretion to fix qualifying marks in any or all subject of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5% of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE

SYLLABUS

PAPER I : *Short Essay*

An Essay to be written on any one of the several specified subjects.

PAPER II : *General English*

Candidates will be tested in simple composition applied Grammer and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling arranging and presenting data in a tabular form).

PAPER III : *General Knowledge (including Geography of India)*

Knowledge of current event and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of an scientific subject. The paper will include questions of Geography of India.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd June 1989

RESOLUTION

No. 604/2/89-NP-i/RNI/JS(P).—In continuation of this Ministry's Resolution No. 602/4/82-P&C/RNI/JS(P) dated 20th June, 1988, the following non-official members hereby appointed as members of the Newsprint Price Fixation Advisory Committee for one year with effect from 1-4-1989.

NON-OFFICIAL MEMBERS

1. Shri N. Murali—Nominees of the Indian Newspaper Society.
2. Shri P. K. Roy—Nominees of the Indian Newspaper Society.
3. Shri Pratap T. Shah—Nominees of the Indian Languages Newspapers Association.

4. Shri Kiran R. Sheth—Nominees of the Indian Languages Newspapers Association.

5. Shri Harbhjan Singh—Nominee of the All India Small and Medium Newspapers Federation.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 13th July 1989

RESOLUTION

No. E-11015/36/88-Hindi.—In continuation of the Ministry of Information and Broadcasting's Resolution No. E-11015/36/88-Hindi, dated 24th February, 1989. Shri Y. G. Shinde is nominated as a non-official member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting by the Government of India.

2. The terms & conditions of the Committee will remain same.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commision, Controller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989